[illegible]

[illegible] वकील वादी द्वारा प्रस्तुत [illegible] पत्र [illegible] अपनी स्वीकार किया जाने पर [illegible] [illegible] के कारण निम्न [illegible] [illegible] [illegible] से प्रकरण की जांच [illegible] [illegible] है। वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, [illegible] प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी का विवाह-पूर्व से तथा प्रतिवादी का [illegible] वादी के भाई-सहित है। वादी एवं प्रतिवादिगण के मध्य आपस में समझौता हो गया है। वकील वादी न्यायालय को आगे कार्यवाही नहीं करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्यायालय प्रकरण को विड्रा करवाने की अनुमति प्रदान करें।

चूंकि वकील वादी के कथनानुसार विवादित पक्षकारों के मध्य समझौता हो चुका है एवं वादी न्यायालय से प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] में स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण विड्रा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर अलमारी के [illegible] हेतु अतः [illegible] दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

([illegible])
([illegible])
RHJS
[illegible]
([illegible])